

(iv)अपने कर्तव्यों हेतु अपनाया जाने वाला मानदण्ड

अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से उपर उठाने हेतु उनके वित्त पोषण हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित जाती है:-

1. अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।
2. वह गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो अर्थात शहरी क्षेत्र में उसकी वार्षिक आय रू0 25546/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/- वार्षिक होनी चाहिए।
3. अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 10000/- तथा मार्जिन मनी ऋण की अधिकतम सीमा योजना लागत का 25 प्रतिशत है जिसकी व्याजदर 4 प्रतिशत वार्षिक है।